(74)

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2018 रिव्यू III/पुनर्विलोकन/शहडोल/भू.रा/2018/2000

1. श्रीमती गिरिजा देवी पत्नी रामचन्द्र शर्मा उम्र 73 वर्ष
2. दिनेश कुमार द्विवेदी पुत्र रामचन्द्र शर्मा उम्र 45 वर्ष
3. रविकुमार द्विवेदी पुत्र रामचन्द्र शर्मा उम्र 36 वर्ष
4. रीना द्विवेदी पुत्री रामचन्द्र शर्मा

समस्त निवासीगण ग्राम ग्राम गोतरा तहसील सुहागपुरा, जिला शहडोल, हाल निवास वार्ड नं. 16, कांग्रेस भवन के पीछे, शहडोल (म.प्र.)

....... आवेदिकागण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि. 24-3-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-4-18 नियत

24-3-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

........ अनावेदकगण

**<u>रिव्यु अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश न्यायालय माननीय श्री एस.एस. अली सदस्य राजस्व मण्डल के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक III/नि./शहडोल/भू.रा./17/2576 में पारित आदेश दिनांक 17.1.18</u>**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा दिनांक 03.08.2010 को आदेश पारित किया, उक्त आदेश में खसरा 432/1 अन्य नम्बरों के साथ में आवेदिका का क्रमांक 432/1 ग्राम गोतरा आराजी को मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने का आदेश प्रदान किया।

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक रिव्यु/दो/शहडोल/भू.रा./2018/2000**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24 –12–18 | आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।<br>2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 1772–दो/10 में पारित आदेश दिनांक 7.7.14 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक रिव्यु/दो/शहडोल/भू.रा./2018/2000 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।<br>3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1772–दो/10 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 7.7.14 से किया जा चुका है।<br>4– प्रकरण में **प्रकरण कमांक रिव्यु/दो/शहडोल/भू.रा./2018/2000** म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है | |

अ— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्‌यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्‌य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य